न्यायालयः- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड (म०प्र०)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-752 / 2013 संस्थित दिनांक:-23 / 09 / 2013

> शासन द्वारा पुलिस आरक्षी केंद्र, गोहद चौराहा जिला—भिण्ड म०प्र0

> > अभियोजन

बनाम्

- 1. रवि उर्फ रवी तिवारी पुत्र मुन्नालाल तिवारी उम्र 22 वर्ष निवासी-ग्राम मौरोली हाल मुरैना रोड मेहगांव थाना मेहगांव जिला भिण्ड म.प्र.
- 2. शिवकुमार पुत्र रामप्रकाश शर्मा उम्र वर्ष निवासी ग्राम खेरिया मेहगांव थाना मेहगांव जिला भिण्ड म.प्र.

आरोपीगण

ALIMANIA PARENTA STA

(आरोप अंतर्गत धारा– 25(1–बी)ए एवं 29 आयुध अधिनियम) (राज्य द्वारा एडीपीओ श्रीमती हेमलता आर्य) (आरोपीगण द्वारा अधि० श्री भगवती राजौरिया)

// निर्णय // 🎺

//आज दिनांक 10/11/2017 को घोषित किया//

आरोपी रवि तिवारी पर दिनांक 07.07.13 को दोपहर 11:25 बजे डांग पहाड़ बंजारे के पुरा के पास अशोक की खदान के सामने अपने आधिपत्य में आयुध अधिनियम की धारा 3 के उल्लघन में एक 315 वोर की रायफल एवं दो जिंदा कारतूस वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य मे रखने हेत् आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-बी)ए के अंतर्गत तथा आरोपी शिवक्मार पर घटना दिनांक समय व स्थान पर 315 बोर की रायफल क्रमांक ए.बी.08-04261 का अनुज्ञप्तधारी होकर उक्त रायफल को यह जानते हुए कि रवि तिवारी उक्त रायफल का अनुज्ञप्तधारी नहीं है रवि तिवारी के आधिपत्य में देने हेतु आयुध अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत आरोप है।

संक्षेप मे अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 07.07.13 को सुबह भंवरपाल बंजारा नामक व्यक्ति ने थाना गोहद चौराहे में मारपीट की रिपोर्ट की थी जिस पर गोहद चौराहे के दरोगाजी सुभाष पाण्डे के साथ प्र0आरक्षक राजेन्द्रसिंह मय फोर्स शासकीय वाहन से रवाना होकर बंजारे के पुरा पर पहुंचे थे जहां जर्ये मुखबिर सुभाष पाण्डे को सूचना प्राप्त हुई थी कि चार व्यक्ति बंदूक लिए पहाड़ पर कोई गंभीर वारदात करने की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना की तस्दीक हेतु वह मय फोर्स

बताये हुए स्थान पर पहुंचे थे तो चार आदमी जिनके हाथों में बंदूकें थीं पुलिस की गाड़ी को देखते ही अलग—अलग दिशाओं में भागने लगे थे तब ए.एस.आई. पाण्डे ने उन्हें पकड़ने को कहा था तो एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से अशोक की खदान की तरफ भागा था। प्र0आरक्षक राजेन्द्रसिंह, आरक्षक उमेश शर्मा, आरक्षक उदयसिंह उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे थे खदान पर आगे मोटरसाइकिल निकलने का रास्ता नहीं था तो उक्त व्यक्ति को फोर्स की मदद से घेरकर पकड़ लिया था। नाम पता पूछने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम रिव तिवारी बताया था। रिव तिवारी के पास रायफल का लाइसेन्स नहीं था। प्र0आरक्षक राजेन्द्रसिंह ने आरोपी के कब्जे से 315 बोर की रायफल, दो जिंदा राउण्ड एवं मोटरसाइकिल जप्त कर तथा आरोपी को गिरफतार कर मौके पर ही जप्ती एवं गिरफतारी की कार्यवाही की थी। तत्पश्चात थाना वापिस आकर उसने आरोपी के विरुद्ध अपप0क0 167/13 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान उसने साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे एवं आरोपी शिवकुमार से बंदूक का लाइसेन्स जप्त कर शिवकुमार को भी प्रकरण में आरोपी बनाया था तथा विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

- 3. उक्तानुसार मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध आरोप विरचित किये गये। आरोपीगण को आरोप पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया ।
- 4. दं0प्र0सं0 की धारा 313 के अन्तर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उन्हें प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है
- 5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये है :--
 - 1. क्या आरोपी रिव तिवारी ने दिनांक 07.07.13 को दोपहर लगभग 11:25 बजे डांग पहाड़ बंजारे के पुरा के पास अशोक की खदान के सामने अपने आधिपत्य में एक संचालनीय स्थिति वाला आयुध 315 बोर की रायफल एवं दो जिंदा कारतूस वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखे ?
 - 2. क्या आरोपी शिवकुमार ने घटना दिनांक समय व स्थान पर 315 बोर की रायफल कमांक ए.बी.08—04261 का अनुज्ञप्तिधारी होकर उक्त रायफल को अनाधिकृत रूप से आरोपी रिव तिवारी के आधिपत्य में दिया ?
- 6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से साक्षी प्र0आरक्षक राजेन्द्रसिंह आ0सा01, आरक्षक उदयसिंह आ0सा02, आरक्षक उमेश शर्मा आ0सा03, आरक्षक सुरेश दुबे आ0सा04, योगेन्द्रसिंह कुशवाह अ0सा05, सेवानिवृत्त प्र0आरक्षक उरदयाल अ0सा06 एवं आरक्षक गुलाबसिंह तौमर आ0सा07, को परीक्षित कराया गया है जबिक आरोपीगण की ओर से बचाव में आरोपी रिव तिवारी ब0सा01 को परीक्षित कराया गया है।

[निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण]

विचारणीय प्रश्न क0-1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के सबंध में प्र0आरक्षक राजेन्द्रसिंह अ0सा01 जोकि जप्तीकर्ता है ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि दिनांक 07.07.13 को सुबह भंवरपाल बंजारा नामक व्यक्ति ने थाने पर मारपीट की रिपोर्ट की थी जिस पर दरोगाजी सुभाष पाण्डे मय शासकीय वाहन से फोर्स लेकर बंजारे के पुरा पर पहुंचे थे वहां पर पाण्डे जी को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि चार आदमी बंदूक लेकर डांग पहाड़ पर गंभीर वारदात करने की नीयत से घूम रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर वह मय फोर्स बताये हुए स्थान पर पहुंचा था तो चार आदमी जिनके हाथों में बंदूकें थी पुलिस की गाडी को देखकर अलग अलग दिशा में भागने लगे थे तब ए.एस.आई. पाण्डे साहब ने उन

चारों व्यक्तियों को पकड़ने के लिए कहा था तो वह एवं आरक्षक उमेश तथा उदयसिंह एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल से अशोक की खदान की तरफ भागा था, के पीछे गये थे खदान पर आगे मोटरसाइकिल निकलने का रास्ता नहीं था। फोर्स की मदद से उसे घेरकर पकड़ा था। नाम पता पूछने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम रवि तिवारी बताया था। आरोपी के पास रायफल का लाइसेन्स एवं मोटरसाइकिल के कागज नहीं थे। उसने आरोपी से मौके पर ही 315 बोर की रायफल तथा दो जिंदा राउण्ड एवं मोटरसाइकिल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी—1 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपी को मौके पर ही गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्र0पी—2 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। थाना वापिस आकर उसने आरोपी के विरुद्ध प्र0पी—3 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

- 8. प्रतिपरीक्षण के पद कमांक 2 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि जब वह बंजारे के पुरा के लिए निकले थे तो उसके साथ ए.एस.आई. सुभाष पाण्डे, आरक्षक उमेश, आरक्षक उदयसिंह एवं फोर्स के अन्य लोग थे। वह थाने से दस बजे निकले थे। पाण्डे जी को सूचना बंजारे के पुरा पर ही मिल गयी थी। उसे जानकारी नहीं है कि ए.एस.आई. पाण्डे साहब को सूचना फोन पर मिली थी या मुखबिर ने स्वयं आकर दी थी। रवानगी वाला रोजनामचा सान्हा उसने नहीं देखा था वापिसी वाला रोजनामचा 249 उसके द्वारा लिखा गया है। पद क्रमांक 3 में उक्त साक्षी का कहना है कि वह तीन लोग रिव के पीछे पकड़ने को दौड़े थे चारों लोग अलग अलग दिशा की तरफ भाग गये थे। आरोपी मोटरसाइकिल लेकर पूर्व दिशा की तरफ भागा था उसने एवं उसके साथ के अन्य लोगों ने दौड़कर उसे पकड़ा था आरोपी रिव को उन तीनों लोगों ने घेरकर एक साथ पकड़ा था।
- 9. साक्षी आरक्षक उदयसिंह अ०सा०2, आरक्षक उमेश शर्मा अ०सा०3 द्वारा भी जप्तीकर्ता प्रधान आरक्षक राजेन्द्रसिंह अ०सा०1 के कथन का समर्थन किया गया है एवं घटना दिनांक को बंजारे के पुरा जाने तथा अशोक की खदान पर आरोपी रिव से 315 बोर की रायफल एवं दो कारतूस तथा मोटरसाइकिल जप्त करने बाबत प्रकटीकरण किया है। आरक्षक उदयसिंह अ०सा०2 ने जप्ती पंचनामा प्र०पी—1 एवं गिरफतारी पंचनामा प्र०पी—2 के कमशः बी से बी भाग पर तथा आरक्षक उमेश शर्मा अ०सा०3 ने जप्ती पंचनामा प्र०पी—1 एवं गिरफतारी पंचनामा प्र०पी—2 के कमशः सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना भी स्वीकार किया है।
- 10. आरक्षक गुलाबसिंह तौमर अ०सा०७ ने मैमोरेण्डम प्र०पी—६ को प्रमाणित किया है। आरक्षक सुरेश दुबे अ०सा०४ ने जप्तशुदा आयुध की मैकेनिकल जांच रिपोर्ट प्र०पी—४ को प्रमाणित किया है। योगेन्द्रसिंह कुशवाह अ०सा०५ ने अभियोजन स्वीकृति आदेश प्र०पी—५ को प्रमाणित किया है एवं सेवानिवृत्त प्र०आरक्षक उरदयाल अ०सा०६ ने विवेचना को प्रमाणित किया है।
- 11. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में पुलिस द्वारा किसी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन भी परस्पर विरोधाभासी रहे हैं अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।
- 12. आरोपीगण की ओर से बचाव के दौरान आरोपी रिव तिवारी ब0सा01 को परिक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसके न्यायालयीन कथन से लगभग चार वर्ष पूर्व वह, सुभाष, अन्नू उर्फ मनोज, अभिषेक एवं शिवकुमार मेहगांव से बिरखड़ी गये थे बिरखड़ी में शिवकुमार अपनी मौसी के घर के अंदर चले गये थे तथा अपनी बंदूक उसे पकड़ा गये थे तभी वहां पर पुलिस आ गयी थी एवं पुलिस ने उसे व उसके साथियों को पकड़ लिया था तथा अलग अलग मुकद्दमा दर्ज कर लिया था। आरोपी अन्नू पर दर्ज अभियोग पत्र की प्रति प्र0डी—1, अभिषेक के संबंध में न्यायालय से जो निर्णय हुआ है उसकी प्रमाणित प्रति प्र0डी—4 है। वह निर्दोष है उसे झुटा

फंसाया गया है। प्रतिपरीक्षण के पद कमांक 2 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जब पुलिस ने उसे पकड़ा था उस समय उसके पास बंदूक थी।

- 13. सर्व प्रथम न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या आरोपी रिव के विरूद्ध आयुध अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत अभियोजन चलाने की स्वीकृति विधि अनुसार ली गई है। उक्त संबंध में साक्षी योगेन्द्र कुशवाह आ0सा05 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि दिनांक 30.08.13 को थाना गोहद चौराहा के प्र0आरक्षक बृजराजिसंह कुशवाह द्वारा थाने के अप0क0 167/13 की केस डायरी जप्तशुदा आयुध सिहत अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने हेतु जिला दंडाधिकारी कार्यालय भिण्ड में प्रस्तुत की गई थी एवं तत्कालीन जिला दंडाधिकारी श्री एम.िसबि चक्रवर्ती द्वारा केस डायरी एवं जप्तशुदा आयुध के अवलोकन पश्चात आरोपी रिव के विरूद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त अभियोजन स्वीकृति आदेश प्र0पी—5 है जिसके ए से ए भाग पर तत्कालीन जिला दंडाधिकारी श्री एम.िसबि चक्रवर्ती के हस्ताक्षर है एवं बी से बी भाग पर उसके लघु हस्ताक्षर है। उसने श्री एम.िसबि चक्रवर्ती के अधीनस्थ कार्य किया है इसलिये वह उनके हस्ताक्षरों से परिचित है। उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन तात्विक विरोधाभाषों से परे रहा है।
- 14. इस प्रकार योगेन्द्र कुशवाह आ०सा०५ ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि पुलिस थाना गोहद चौराहा द्वारा प्रकरण में जप्तशुदा आयुध केस डायरी सिहत तत्कालीन जिला दंडाधिकारी श्री एम.सिबि चक्रवर्ती के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे एवं श्री एम.सिबि चक्रवर्ती ने जप्तशुदा आयुध के अवलोकन पश्चात आरोपी रिव के विरूद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी थी। उक्त साक्षी का यह कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान तात्विक विरोधाभाषों से परे रहा है। बचाव पक्ष की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त बिन्दु पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि आरोपी रिव के विरूद्ध आयध अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत अभियोजन चलाने की स्वीकृति विधिनुसार प्राप्त की गई थी।
- 15. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या जप्तशुदा 315 वोर की रायफल एवं दो कारतूस संचालनीय स्थिति में थे। उक्त संबंध में आर्म्स मोहर्र सुरेश दुबे आ0सा04 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 27.07.13 को पुलिस लाईन भिण्ड में थाना गोहद चौराहा के अप0क0 167/13 में जप्तशुदा रायफल एवं 315 बोर के दो राउण्ड की जांच की थी जांच के दौरान उसने रायफल का एक्शन चैक किया था रायफल का एक्शन चालू हालत में था एवं 315 बोर से फायर किया जा सकता था। 315 बोर के दो राउण्ड भी चालू हालत में थे उनसे भी फायर किया जा सकता था। उसके द्वारा तैयार की गयी जांच रिपोर्ट प्र0पी—4 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण के पद कमांक 2 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसने रायफल एवं राउण्ड से फायर करके नहीं देखा था।
- 16. इस प्रकार आरक्षक सुरेश दुबे अ०सा०४ द्वारा यद्यपि यह बताया गया है कि उसने रायफल एवं राउण्ड से फायर करके नहीं देखा था परन्तु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उसने जप्तशुदा रायफल का एक्शन चैक किया था तथा उसका एक्शन सही कार्य कर रहा था। उक्त साक्षी ने रायफल चालू हालत में होना बताया है। आरोपीगण की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह दर्शित होता हो कि जप्तशुदा आयुध संचालनीय स्थिति में नहीं थे। ऐसी स्थिति में मात्र इस कारण कि आरक्षक सुरेश दुबे ने जप्तशुदा रायफल एवं कारतूस से फायर करके नहीं देखा था यह नहीं माना जा सकता है कि उक्त आयुध संचालनीय स्थिति में नहीं थे।
- 17. आरक्षक सुरेश दुबे आ०सा०४ ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि उसने जप्तशुदा रायफल एवं कारतूस की जांच की थी तथा जांच के दौरान रायफल एवं कारतूस संचालनीय स्थिति में थे। बचाव पक्ष की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

ऐसी स्थिति में उक्त बिन्दु पर आई साक्ष्य से यह भी प्रमाणित है कि जप्तशुदा 315 बोर की रायफल एवं दो कारतूस संचालनीय स्थिति में थे।

- 18. अब मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या जप्तशुदा 315 वोर की रायफल एवं दो कारतूस आरोपी रिव ने वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखे थे ? उक्त संबंध में प्र0आरक्षक राजेन्द्रसिंह अ0सा01 जोकि जप्तीकर्ता है, ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना दिनांक को वह दरोगाजी सुभाष पाण्डे के साथ मय फोर्स ग्राम बंजारे के पुरा गया था जहां दरोगाजी सुभाष पाण्डे को मुखबिर द्वारा आरोपी रिव के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होने पर वह मुखबिर के बताय स्थान पर पहुंचे थे तो वहां उन्हें चार व्यक्ति हाथ में बंदूक लिए हुए मिले थे जो पुलिस को देखकर भागने लगे थे। ए.एस.आई. पाण्डे ने उससे आरोपीगण को पकड़ने के लिए कहा था तो वह तथा आरक्षक उमेश तथा आरक्षक उदयसिंह आरोपी रिव को पकड़ने के लिए उसके पीछे गये थे तथा उसने आरोपी रिव को पकड़ लिया था तथा उसने मौके पर ही आरोपी रिव से 315 बोर की रायफल दो जिंदा राउण्ड तथा एक मोटरसाइकिल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी—1 एवं आरोपी रिव को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्र0पी—2 बनाया था। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि उसे जानकारी नहीं है कि ए.एस.आई. पाण्डे को मुखबिर ने सूचना स्वयं आकर दी थी अथवा फोन पर दी थी परन्तु उक्त तथ्य तात्विक नहीं है। अतः उक्त आधार पर अभियोजन घटना के विपरीत कोई उपधारणा नहीं की जा सकती है।
- 19. प्र0आरक्षक राजेन्द्रसिंह अ०सा०१ ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी व्यक्त किया है कि वह थाने से निकलने वक्त रोजनामचे में इन्द्राज करते हैं उसने रोजनामचा वापिसी क्रमांक 249 दिनांक 07.07.13 लेख किया था। यद्यपि प्रकरण में अभियोजन द्वारा रोजनामचा सान्हा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है परन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि प्र0आरक्षक राजेन्द्रसिंह अ०सा०१ द्वारा स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि उसने रोजनामचा वापिसी क्रमांक 249 पर दर्ज की थी। आरोपीगण की ओर से उक्त तथ्य को चुनौतित नहीं किया गया है। आरोपीगण का ऐसा कहना नहीं है कि घटना दिनांक को प्र0आरक्षक राजेन्द्रसिंह मय फोर्स अशोक की खदान पर नहीं गये थे। ऐसी स्थिति में मात्र रोजनामचा सान्हा प्रस्तुत न होने से अभियोजन घटना के विपरीत कोई उपधारणा नहीं की जा सकती है।
- 20. प्र0आरक्षक राजेन्द्रसिंह अ०सा०1 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि डांग पहाड़ पर उन्हें चार व्यक्ति बंदूक लिए हुए मिले थे एवं चारों व्यक्ति पुलिस को देखकर अलग—अलग दिशाओं में भागे थे उसने आरोपी रिव को पकड़ा था तथा प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी व्यक्त किया है कि जो तीन आरोपीगण भागे थे उनके पीछे पुलिस बल कितनी दूर तक भागा था वह नहीं बता सकता है परन्तु यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण मात्र आरोपी रिव से संबंधित है ऐसी स्थिति में उक्त तथ्य से अभियोजन घटना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।
- 21. प्र0आरक्षक राजेन्द्रसिंह अ०सा०1 ने आरक्षक उमेश एवं आरक्षक उदयसिंह के समक्ष आरोपी रिव से आयुध जप्त करना बताया है। आरक्षक उदयसिंह अ०सा०2 एवं आरक्षक उमेश शर्मा अ०सा०3 ने भी प्र0आरक्षक राजेन्द्रसिंह अ०सा०1 के कथन का पूर्णतः समर्थन किया है एवं घटना दिनांक को सुभाष पाण्डे के साथ बंजारे के पुरा जाने तथा अशोक की खदान पर प्र0आरक्षक राजेन्द्रसिंह के साथ आरोपी रिव को पकड़ने एवं आरोपी रिव से बंदूक दो कारतूस तथा मोटरसाइकिल जप्त किए जाने बाबत प्रकटीकरण किया है। उक्त दोनों ही साक्षियों का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त दोनों ही साक्षीगण के कथन तुच्छ विसंगतियों को छोड़कर तात्विक विरोधाभासों से परे रहे हैं। आरक्षक उदयसिंह अ०सा०2 एवं आरक्षक उमेश शर्मा अ०सा०3 के कथनों में प्रतिपरीक्षण के दौरान कोई तात्विक विसंगति नहीं आई है।
- 22. जहां तक आरोपी रवि के मैमोरेण्डम प्र0पी—6 का प्रश्न है तो आरक्षक गुलाबसिंह तौमर अ0सा07 ने आरोपी रवि से पछताछ कर प्र0पी—6 का मैमोरेण्डम तैयार करना बताया है परन्तु यहां यह

उल्लेखनीय है कि उक्त मैमोरेण्डम लेने के पूर्व ही आरोपी रिव से 315 बोर की रायफल एवं कारतूस की जप्ती हो चुकी थी उक्त मैमोरेण्डम के अनुसरण में कोई जप्ती नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में प्र0पी—6 के मैमोरेण्डम का कोई औचित्य नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्र0पी—6 का मैमोरेण्डम आरोपी रिव से दिनांक 08.07.13 को लिया गया है एवं आरोपी रिव से जप्ती पंचनामा प्र0पी—1 के अनुसार दिनांक 07.07.13 को ही 315 बोर की रायफल तथा दो कारतूस की जप्ती हो चुकी थी ऐसी स्थिति में प्र0पी—6 के मैमोरेण्डम का कोई औचित्य नहीं था एवं उक्त मैमोरेण्डम के कारण अभियोजन घटना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

- 23. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि अभियोजन कहानी के अनुसार सुभाष पाण्डे को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी तथा उन्हीं के निर्देशानुसार समस्त कार्यवाही की गयी है परन्तु सुभाष पाण्डे को प्रकरण में गवाह नहीं बनाया गया है यह तथ्य अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है परन्तु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। यद्यपि अभियोजन कहानी के अनुसार सुभाष पाण्डे को ही मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी तथा उनके निर्देश पर ही समस्त कार्यवाही की गयी है परन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में आरोपी रिव से रायफल एवं कारतूस प्र0आरक्षक राजेन्द्रसिंह द्वारा आरक्षक उदयसिंह एवं उमेश शर्मा के समक्ष जप्त किए गए हैं। प्र0आरक्षक राजेन्द्रसिंह अ०सा01 आरक्षक उदयसिंह अ०सा02 एवं आरक्षक उमेश शर्मा अ०सा03 के कथन आरोपी रिव से रायफल एवं कारतूस जप्त होने के बिन्दु पर अखण्डनीय रहे हैं। आरोपीगण की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः मात्र इस आधार पर कि सुभाष पाण्डे को प्रकरण में गवाह नहीं बनाया गया है अभियोजन घटना के विपरीत कोई उपधारणा नहीं की जा सकती है।
- 24. आरोपीगण की ओर से यह बचाव लिया गया है कि पुलिस ने आरोपी रिव को शिवकुमार की मौसी के घर के बाहर ग्राम बिरखड़ी में पकड़ा था। उक्त संबंध में आरोपी रिव ब0सा01 द्वारा स्वयं को परीक्षित कराया गया है। आरोपी रिव ब0सा01 ने भी अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह घटना वाले दिन सुभाष, मनोज, अभिषेक एवं शिवकुमार के साथ ग्राम बिरखड़ी गया था एवं बिरखड़ी में शिवकुमार अपनी मौसी के घर के अंदर गया था तथा अपनी बंदूक उसे पकड़ा गया था तभी वहां पुलिस आ गयी थी एवं पुलिस ने उसे व उसके साथियों को पकड़ लिया था। आरोपीगण की ओर से उक्त संबंध में सुभाष, मनोज एवं अभिषेक पर दर्ज मुकद्दमे के अभियोग पत्र की प्रति प्र0डी—1, प्र0डी—2, प्र0डी—3 भी प्रस्तुत की गयी है। इस प्रकार आरोपी रिव ब0सा01 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि पुलिस ने उसे शिवकुमार की मौसी के घर के बाहर ग्राम बिरखड़ी से पकड़ा था परन्तु उक्त संबंध में कोई साक्ष्य आरोपी रिव द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है। आरोपी रिव ब0सा01 का ऐसा कहना भी नहीं है कि उसकी पुलिस से कोई रंजिश थी। अभिलेख पर आई साक्ष्य से भी आरोपीगण एवं पुलिस के मध्य कोई रंजिश होना दर्शित नहीं है। ऐसी स्थित में बिना किसी आधार के आरोपी रिव ब0सा01 का यह कथन कि पुलिस ने उसके विरुद्ध झूठा मुकददमा बनाया है विश्वसनीय नहीं है एवं प्रकरण में आई साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि आरोपी रिव ब0सा01 द्वारा स्वयं को बचाने के लिए पुलिस पर असत्य लांछन लगाये जा रहे हैं।
- 25. आरोपी रिव बिंग्सा प्रकरण में अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही के दस्तावेज प्र0डी—1 लगायत प्र0डी—3 एवं निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0डी—4 अभिलेख पर प्रस्तुत की गयी है परन्तु उक्त सभी दस्तावेजों से यह दर्शित नहीं होता है कि आरोपी रिव को प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अतः उक्त दस्तावेजों से भी आरोपीगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपी रिव ब0सा01 ने अपने कथनों के दौरान यह स्वीकार किया है कि जब पुलिस ने उसे पकड़ा था तो बंदूक उसके पास थी इस प्रकार आरोपी रिव ब0सा01 के कथनों से यह तो प्रमाणित है कि उसके आधिपत्य से बंदूक जप्त हुई थी।
 - बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि प्रस्तृत प्रकरण में जप्ती की

26.

कार्यवाही में स्वतंत्र साक्षियों को गवाह नहीं बनाया गया है। आरोपीगण के विरुद्ध मात्र पुलिस कर्मचारियों के कथन शेष हैं यह तथ्य अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है। यद्यपि यह सत्य है कि प्रकरण में जप्ती पंचनामा प्र0पी–1 एवं गिरफतारी पंचनामा प्र0पी–2 में किसी स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर नहीं है परन्तु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्र0आरक्षक राजेन्द्रसिंह अ0सा01 जोकि जप्तीकर्ता है, ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 4 में यह व्यक्त किया है कि उसने मौके पर पश् चराने वाले लोगों को बुलाया था परन्तु वह लोग नहीं आये थे। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सामान्यतः आपराधिक मामलों में जनता का कोई भी साक्षी संलिप्त नहीं होना चाहता है। कोई भी सामान्य व्यक्ति आपराधिक मामलों में तब तक संलिप्त नहीं होता है जब तक कि वह व्यक्तिगत रूप से स्वयं उस मामले से हितबद्ध न हो। ऐसी स्थिति में मात्र इस आधार पर कि जप्ती एवं गिरफतारी की कार्यवाही में स्वतंत्र साक्षियों को गवाह नहीं बनाया गया है जप्ती की कार्यवाही को संदेहास्पद नहीं माना जा सकता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यद्यपि प्रकरण में स्वतंत्र साक्षियों को गवाह नहीं बनाया गया है परन्तु जप्तीकर्ता प्र0आरक्षक राजेन्द्रसिंह अ०सा०१, आरक्षक उदयसिंह अ०सा०२ एवं आरक्षक उमेश शर्मा अ०सा०३ के कथन अपने परीक्षण के दौरान अखण्डित रहे हैं। आरोपी रवि ब0सा01 ने स्वयं उससे बंदूक जप्त होना स्वीकार किया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि स्वतंत्र साक्षियों से संपुष्टि का जो नियम है वह विधि का न होकर प्रज्ञा का है। यदि प्रकरण में पुलिस कर्मचारियों के कथन अपने परीक्षण के दौरान तात्विक विरोधाभासों से परे रहे हैं तो मात्र इस आधार पर पुलिस कर्मचारियों के कथनों को अविश्सनीय नहीं माना जा सकता है कि उसके कथनों की पृष्टि किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा नहीं की गयी है। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत नाथूसिंह वि० म०प्र० राज्य ए.आई.आर. 1973 स्.को. एस.सी. 2783 भी अवलोकनीय है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि पंच गवाहों के समर्थन न करने के बाद भी यदि पुलिस साक्षीगण की साक्ष्य विश्वास योग्य हो तो उसे विचार में लिया जाना चाहिए। न्यायदृष्टांत काले बाबू वि० म०प्र0राज्य २००८ (४) एम.पी.एच.टी.३९७ में भी यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि अन्य साक्षीगण कहानी का समर्थन नहीं करते हैं मात्र इस कारण पुलिस अधिकारी की गवाह अविश्वसनीय नहीं हो जाती है। न्यायदृष्टांत करमजीतसिंह वि० दिल्ली एडिमस्ट्रिशन (२००३)५ एस.सी.सी.२९७७ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि पुलिस अधिकारी की साक्ष्य को भी अन्य साक्षीगण की साक्ष्य की तरह ही लेना चाहिए विधि में ऐसा कोई नियम नहीं है कि अन्य साक्षीगण की पृष्टि के अभाव में पृलिस अधिकारी की साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

27. इस प्रकार उपरोक्त न्यायदृष्टांतों में भी यही प्रतिपादित किया गया है कि पुलिस कर्मचारियों की साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में जप्तीकर्ता राजेन्द्रसिंह अ0सा01 ने घटना दिनांक को आरोपी रिव से 315 बोर की रायफल एवं दो कारतूस जप्त होना बताया है। आरक्षक उदयसिंह अ0सा02 एवं आरक्षक उमेश शर्मा अ0सा03 ने भी उक्त बिन्दु पर प्र0आरक्षक राजेन्द्रसिंह अ0सा01 के कथन का पूर्णतः समर्थन किया है तथा घटना दिनांक को आरोपी रिव से 315 बोर की बंदूक एवं दो कारतूस जप्त किए जाने बाबत प्रकटीकरण किया है। उक्त सभी साक्षीगण का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त सभी साक्षीगण के कथन तुच्छ विसंगतियों को छोड़कर तात्विक विरोधाभासों से परे रहे हैं। जप्ती पंचनामा प्र0पी—1 में भी आरोपी रिव से 315 बोर की रायफल कमांक ए.बी.08—04261 एवं दो कारतूस जप्त किए जाने का उल्लेख है। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर प्र0आरक्षक राजेन्द्रसिंह अ0सा01, आरक्षक उदयसिंह अ0सा02 एवं आरक्षक उमेश शर्मा अ0सा03 के कथन की पुष्टि जप्ती पंचनामा प्र0पी—1 एवं गिरफतारी पंचनामा प्र0पी—2 से भी हो रही है। आरोपीगण की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है ऐसी स्थिति में अभियोजन की अखण्डित रही साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।

28. फलतः उपरोक्त चरणों में की गयी समग्र विवेचना से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी रवि ने दिनांक 07.07.13 को दोपहर लगभग 11:25 बजे डांग पहाड़ बंजारे के पूरा के पास अशोक की खदान के सामने अपने आधिपत्य में एक 315 बोर की रायफल एवं दो जिंदा कारतूस वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखे।

विचारणीय प्रश्न क0-2

- 29. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या आरोपी शिवकुमार ने अपनी जप्तशुदा लाइसेन्सी बंदूक यह जानते हुए कि आरोपी रिव उक्त बंदूक को रखने का हकदार नहीं है, आरोपी रिव को परिदत्त की थी। उक्त संबंध में सेवानिवृत्त प्र0आरक्षक उरदयाल अ0सा06 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 14.08.13 को आरोपी शिवकुमार को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्र0पी—9 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने आरोपी शिवकुमार शर्मा से लाइसेन्स जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी—10 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन आरोपी शिवकुमार को गिरफतार करने एवं उससे लाइसेन्स जप्त करने के बिन्दु पर अखण्डित रहा है।
- 30. प्र0पी—10 के जप्ती पंचनामें के अवलोकन से यह दर्शित है कि आरोपी शिवकुमार से जप्तशुदा 315 बोर की रायफल कमांक ए.बी.08—04261 का लाइसेन्स जप्त किया गया था। आरोपी रिव ब0सा01 ने भी यह व्यक्त किया है कि बंदूक आरोपी शिवकुमार ने उसे दी थी। आरोपी शिवकुमार जप्तशुदा 315 बोर की रायफल का अनुज्ञप्तधारी था तथा उसके द्वारा लाइसेन्स की शर्तों के उल्लंघन में जप्तशुदा 315 बोर की रायफल आरोपी रिव को जोकि जप्तशुदा रायफल कब्जे में लेने के लिए हकदार नहीं था, को परिदत्त की गयी थी। आरोपी शिवकुमार ने आरोपी रिव को जप्तशुदा रायफल परिदत्त कर अनुज्ञप्ति की शर्त का उल्लंघन किया है। ऐसी स्थिति में आरोपी शिवकुमार आयुध अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत अपराध किया गया है।
- 31. फलतः उपरोक्त चरणों में की गयी विवेचना से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी रिव तिवारी ने दिनांक 07.07.13 को दोपहर 11:25 बजे डांग पहाड़ बंजारे के पुरा के पास अशोक की खदान के सामने अपने आधिपत्य में आयुध अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन में एक 315 बोर की रायफल एवं दो जिंदा कारतूस वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखी एवं आरोपी शिवकुमार ने घटना दिनांक समय व स्थान पर 315 बोर की रायफल कमांक ए.बी. 08—04261 का अनुज्ञप्तधारी होकर उक्त रायफल को यह जानते हुए कि रिव तिवारी उक्त रायफल का अनुज्ञप्तधारी नहीं है रिव तिवारी को परिदत्त की। फलतः यह न्यायालय आरोपी रिव तिवारी को आयुध अधिनियम की धारा 25(1—बी)ए के अंतर्गत तथा आरोपी शिवकुमार को आयुध अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध करती है।
- 32. सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लिखाया जाना अस्थाई रूप से स्थगित किया गया।

(प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

पुनश्च:-

33. आरोपीगण एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सजा के प्रश्न पर सुना गया आरोपीगण एवं उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि आरोपीगण का यह प्रथम अपराध है। आरोपीगण ने नियमित रूप से विचारण का सामना किया है। अतः आरोपीगण को कम से कम दण्ड से दिण्डित किया जावे।

आरोपीगण अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियोजन द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है परन्तु आरोपी रवि द्वारा वैध अनुज्ञप्ति के बिना 315 बोर की रायफल एवं दो कारतूस अपने आधिपत्य में रखे गये हैं तथा आरोपी शिवकुमार द्वारा अनाधिकृत रूप से 315 बोर की रायफल रवि को परिदत्त की गयी है। ऐसी स्थिति में आरोपीगण को शिक्षाप्रद दण्ड से दण्डित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। फलतः यह न्यायालय आरोपी रवि तिवारी को आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी)ए के अंतर्गत एक वर्ष के सन्नम कारावास एवं दो हजार रूपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड की राशि में व्यतिक्रम होने पर दो माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास तथा आरोपी शिवकुमार को आयुध अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड की राशि में व्यतिक्रम होने पर दो माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दंड से दंडित करती

आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं। 35.

प्रकरण में जप्तशुदा प्लेटिना मोटरसाइकिल एवं 315 बोर की रायफल पूर्व से ही सुपुर्दगी पर है। अतः उसके संबंध में सुर्पुगीनामा अपील अवधि पश्चात निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावें।

🌄 आरोपीगण जितनी अवधि के लिये न्यायिक निरोध में रहे हैं उसके संबंध मे द.प्र.स. 37. की धारा 428 के अंतर्गत ज्ञापन तैयार किया जावे। आरोपीगण द्वारा न्यायिक निरोध में बिताई गई अवधि उनकी सारवान सजा में समायोजित की जावे। प्रकरण में आरोपी रवि तिवारी दिनांक 09.07.13 से दिनांक 16.07.13 तक एवं आरोपी शिवकुमार दिनांक 14.08.13 से दिनांक 20.08.13 तक न्यायिक निरोध में रहे है।

तदानुसार सजा वारण्ट बनाये जावें।

स्थान:- गोहद.

दिनांक:-10.11.17

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,

खुले न्यायालय में घोषित किया गया

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

मेरे निर्देशन पर टाईप किया

सही / —
(प्रतिष्ठा अवस्थी)
प्रथम श्रेणी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)